मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर।

परामशी (Advisory)

विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियामावली के अध्याय 9 कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रस्तर 65 एवं 66 में निम्निलिखित प्रावधान किये गए हैं -

65.	No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority, own wholly or in part or conduct or participate in editing or managing of any newspaper or other periodical publication. No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority or in the bonafide discharge of his duties, participate in a radio broadcast or contribute any article or write any letter, either anonymously or his own name or in the name of any other person to any newspaper or periodical.
	Provided that no such sanction shall be required if such broadcast or such contribution is of a purely technical, literary, artistic, or scientific character.
66.	 No employee shall, in any media, press, TV or audio broadcast or in any document published anonymously or in his own name or in the name of any other person, or in any communication to the press or in public utterance, make statement of fact or opinion; a. Which has the effect of any adverse criticism of any decision of his superior officers, or of any current or recent policy or action of the University or b. Which is capable of embarrassing the relations between the University and Uttar Pradesh Government and Central Government or the Government of any other state or any other institution or organization or member of public of, or which is capable of embarrassing the relation between central Government and Government of any foreign State Provided that nothing in this rule shall apply to any statement made or views expressed by an employee in official capacity or in the due performance of the duties assigned to him.

विभिन्न प्रकरणों में ऐसा प्रकाश में आया है कि कतिपय शिक्षकों / कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमित के बिना ही प्रेस / इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों से संपर्क किया जा रहा है और सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है, जो कि कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है। यह भी उल्लंखनीय है कि शिक्षकों / कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा सार्वजानिक माध्यमों पर विश्वविद्यालय की किसी रीतिनीति, क्रियाकलाप अथवा उच्चाधिकारियों पर किसी प्रकार की अपमानजनक अथवा प्रतिकृत टिप्पणी करना भी कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत है।

अतएव, समस्त शिक्षकों/ कर्मचारियों/ अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करना एवं विश्वविद्यालय सम्बन्धी किसी भी सूचना/ प्रेस विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय संपर्क अधिकारी के माध्यम से मीडिया को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

> ह0/ कुलसचिव

पृं0स0/मा0प्रौ0वि0/कुस0का0/728 /2023

दिनांकः ३० जनवरी 2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 समस्त अधिष्ठाता/ समस्त विभागाध्यक्ष/ समस्त अनुभागीय अधिकारी/ यूनिट के समस्त प्रभारीगण को इस आशय से कि उपरोक्त का अपने विभागीय शिक्षकों/ कर्मचारियों में परिचालन करवाने का कष्ट करें।
- 02 वित्त नियन्त्रक।
- 03 उप-कुलसचिव।
- 04 वेबमास्टर, वेबसाईट को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 06 वै0 सहायक, कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

कुलसचिके । १०।